

विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा  
आदेश

श्रीमति बलविन्द्र कौर, उप-अधीक्षका, कार्यालय कार्यकारी अभियन्ता, पंचायती राज, अंबाला को हरियाणा सिविल सेवाएं (सामान्य) नियमावली, 2016 के उप नियम 143(1) के तहत दिनांक 30.06.2022 को बाद दोपहर 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने उपरांत सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक  
20.06.2022

धीरेन्द्र खड़गटा, भा0प्र0से0  
निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पू0 कमांक एए1-2022/61942-46

दिनांक: 20/06/22

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-


1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. अधीक्षक अभियन्ता, पंचायती राज, अंबाला।
3. कार्यकारी अभियन्ता, पंचायती राज, अंबाला।
4. श्रीमति बलविन्द्र कौर, उप-अधीक्षका कार्यालय कार्यकारी अभियन्ता, पंचायती राज, अंबाला।
5. ए0ई0/आई0टी0सेल।

4/7/22

SA/IE

Ankita  
4/7/22

Raj



अधीक्षक (प्रशा0-1)

कृते: निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग  
हरियाणा, चण्डीगढ़।